कार्यवृत्त

शनिवार, 11 चैत्र, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 24 मार्च, 2018)

खण्ड-50
अंक-5

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, गैरसैण में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा मा0 नेता प्रतिपक्ष के भाषण से आरम्भ हुई।

मा0 नेता प्रतिपक्ष ने सरकार द्वारा किसानों के ऋण माफ न करने से किसानों द्वारा की आत्महत्या के प्रकरण पर पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर पक्ष तथा विपक्ष के मा0 सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान होने लगा।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुरोध किये जाने पर भी नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के मा0 सदस्य 'वेल' में आकर जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा। इस पर **श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट पर 15 मिनट तक के लिये स्थगित की।**

11 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 12:00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया गया है।

सदन की कार्यवाही 12:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के मा0 सदस्य उक्त प्रकरण पर 'वेल' में आकर जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा। इस पर

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 05 मिनट पर 15 मिनट तक के लिये स्थगित की।

12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 15 मिनट के लिये बढ़ा दिया गया है।

12 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 15 मिनट के लिये बढ़ा दिया गया है।

12 बजकर 50 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया गया है।

सदन की कार्यवाही 01:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने मा0 नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर विपक्ष के मा0 सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सदन को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसका सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा विरोध किये जाने पर घोर व्यवधान होने लगा।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 10 मिनट पर 03:00 बजे तक के लिये स्थगित की।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन ने कहा मा0 नेता प्रतिपक्ष के भाषण में किसानों की समस्याओं पर सत्ता पक्ष कितनी भी आपत्ति कर ले, विपक्ष अपनी आवाज उठाता रहेगा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अध्यक्ष जी आज की घटना दुःखद है, इस पर आपका विनिश्चय आ जाय।

श्री अध्यक्ष ने विनिश्चय दिया कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो तथा वे आज की घटना का परीक्षण करा लेंगे। तत्पश्चात् आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा मा0 नेता प्रतिपक्ष के अभिभाषण से आरम्भ हुई।

03 बजकर 12 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मा0सदस्यों ने भी आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में अपने विचार व्यक्त किये :-

1. श्री दलीप सिंह रावत
2. श्री नवीन चन्द्र दुम्का
3. श्री मुन्ना सिंह चौहान
4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
5. श्री राम सिंह कैड़ा
6. श्री खजान दास
7. श्री भरत सिंह चौधरी
8. काजी मौ0 निजामुद्दीन
9. श्री संजीव आर्य
10. श्री धन सिंह नेगी
11. श्री विनोद कण्डारी
12. श्री करन माहरा
13. श्री चन्दन राम दास
14. श्री सुरेश राठौर
15. श्री पूरन सिंह फर्त्याल
16. श्री फुरकान अहमद
17. जॉर्ज आईवान ग्रेगॅरी मैन
18. श्री राजकुमार
19. श्री प्रीतम सिंह पंवार

श्री प्रीतम सिंह पंवार के भाषण के मध्य ही मा0 उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि इस प्रदेश की भाषा हिन्दी है। कृपया सभी मा0 सदस्य हिन्दी में अपना वक्तव्य दें। अंग्रेजी वक्तव्य का हिन्दी रूपान्तरण भी उपलब्ध करा दें, जिसे कार्यवाही में सम्मिलित कर दिया जायेगा।

20. श्री मनोज रावत
21. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
22. श्रीमती ममता राकेश
23. श्री महेन्द्र भट्ट
24. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
25. श्री प्रीतम सिंह

मा0 उपाध्यक्ष ने कहा कि यदि कोई मा0 सदस्य अपना भाषण लिखित में भी देना चाहें तो दे सकते है। वह कार्यवाही में समाहित कर लिया जायेगा।

26. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना

आय-व्ययक पर वित्त मंत्री के भाषण के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर चर्चा समाप्त हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन), विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-13 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन), विधेयक, 2018'' पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-17 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018'' पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आबकारी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन), विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-15 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

आबकारी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन), विधेयक, 2018'' पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिचाई एवं बाढ नियंत्रण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन), विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

सिचाई एवं बाढ नियंत्रण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन), विधेयक, 2018'' पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-5 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, विधेयक, 2018'' पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-8 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन), विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-14 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन), विधेयक, 2018'' पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-5 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन विधेयक, 2018'' पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2018'' पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन), विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन), विधेयक, 2018'' पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष ने उद्घोषित किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन, 2015 में ''सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) '' को वर्ष 2030 तक आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय संवहनीयता (Sustainability) का बनाये रखने हेतु गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने, समृद्धि प्राप्त करने तथा न्यायपूर्ण एवं सुरक्षित व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। भारत सरकार द्वारा भी राष्ट्र में सतत् विकास लक्ष्यों को 2030 तक पूर्ण करने हेतु अपनी सहमति दी गयी है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा भी 17 सतत् विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु विजन-2030 तैयार किया जा रहा है, पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव/तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय'' पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य शराब व व्यसन मुक्त हो तभी देव भूमि की कल्पना साकार होगी'' पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय'' पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय'' पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प :-

''देहरादून-मसूरी-सुवाखोली-अलमस-भवान-नगुण (उत्तरकाशी) मोटर मार्ग को नगुण तक तथा देहरादून-मसूरी-कैम्टीफाल-यमुनापुल-नौगांव-बड़कोट-जानकीचट्टी मोटर मार्ग को आलवैदर रोड परियोजना में सम्मिलित किया जाये'' पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री धन सिंह नेगी सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं व दैवीय आपदा से मारे गये लोगों के आश्रितों को एकमुश्त एक समान धनराशि का प्राविधान होना चाहिए'' पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव :-

''गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति प्रदेश की सभी नदियों का स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय, एवं नदियों में निरन्तर प्रवाह बनाये रखने के लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाय'' पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में अन्य प्रदेशों की भांति उत्तराखण्ड के निवासियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रदेशवासियों को यह यात्रा निःशुल्क कराने पर विचार किया जाय'' पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव :-

''यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जायें'' पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना :-

''प्रदेश में विशेषतः उत्तर प्रदेश की भांति किसानों का ऋण माफ कर दिया जाय'' पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 24 मार्च, 2018 की बैठक में दिनांक 26 मार्च, 2018 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

26 मार्च, 2018

निम्नलिखित विधेयकों का विचार एवं पारण :-

1. उत्तराखण्ड सेवा निवृत्ति लाभ विधेयक, 2018,
2. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2018
3. उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन), विधेयक, 2018।

(शेष कार्यक्रम यथावत् रहेंगे।)

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना मा0 उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की कार्यवाही 07 बजकर 26 मिनट पर सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2018 तक के लिये स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(प्रेमचन्द अग्रवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।